स०स०–2/आर–45/2024–

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

विनोद कुमार पाठक
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

प्रभारी पदाधिकारी,
वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग,
बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक

विषय : **डा० सूर्य प्रकाश, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (जेनरल सर्जन), प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नरकटियागंज, पश्चिम चम्पारण, बेतिया का दिनांक–05.06.2023 से 20.03.2024 तक की प्रभार रहित अवधि के विनियमन के सम्बन्ध में।**

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध मे कहना है कि विभागीय अधिसूचना स०–15(17), दिनाक–06.01 2023 द्वारा डा० सूर्य प्रकाश को सीनियर रेजिडेन्ट के लिए श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल, मुजफ्फरपुर में तीन वर्षो के लिए टेन्योर पद पर पदस्थापित किया गया। अधीक्षक, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल मुजफ्फरपुर के ज्ञापाक–2733 दिनाक–21 06 2023 द्वारा सूचित किया गया है कि डा० प्रकाश द्वारा सीनियर रेजिडेन्ट के पद पर योगदान दिनाक–20 01. 2023 को दिया गया तथा सीनियर रेजिडेन्ट न्यरो सर्जरी विभाग, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर के पद से दिनाक–05 06 2023 के अपराह्न मे त्याग पत्र दिया गया।

विभागीय आदेश ज्ञापांक–1062(17) दिनाक–17.10 2023 के द्वारा दिनांक–05.06.2023 के प्रभाव से उनका त्याग पत्र स्वीकृत किया गया। उक्त आलोक मे डा० प्रकाश के द्वारा दिनाक–18 10 2023 को स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय मे पदस्थापन की प्रतीक्षा में योगदान समर्पित किया गया। ।

विभागीय अधिसूचना स०–356(2), दिनाक–15 03 2024 के द्वारा डा० सूर्य प्रकाश का पदस्थापन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नरकटियागज, प० चम्पारण मे किया गया। डा० प्रकाश द्वारा सस्थान मे दिनांक–21.03.2024 को पूर्वाह्न में प्रभार ग्रहण किया। इस प्रकार डा० प्रकाश का दिनांक–05.06. 2023 से 20.03 2024 तक की अवधि अवनियमित है।

अतः डा० सूर्य प्रकाश, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (जेनरल सर्जन), प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नरकटियागंज, पश्चिम चम्पारण बेतिया के दिनाक–06 06.2023 से 20.03.2024 तक के प्रभार रहित अवधि को निम्नरूप में विनियमित किया जाता है:–

i.	दिनाक–06 06.2023 से 17.10.2023 तक	–	असाधारण अवकाश के रूप में। (बिहार सेवा संहिता के नियम–180)
ii	दिनाक–18.10 2023 से 15 03.2024 तक	–	पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि के रूप में (मुख्यालय स्वास्थ्य विभाग)।
iii	दिनाक–16.03 2024 से 20.03.2024 तक	–	असाधारण अवकाश के रूप में। (बिहार सेवा सहिता के नियम–180)

2. प्रस्ताव में वित्त विभाग, बिहार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0/–

(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव

2>2025>niji schika> fines me jane wala fil chamtha

ज्ञापांक–2/आर–45/2024– 1428(2) पटना, दिनांक 24/6/2026

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एव ह०) विभाग, बिहार, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी,प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नरकटियागज, पश्चिम चम्पारण, बेतिया/जिला कोषागार पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया/डा० सूर्य प्रकाश, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (जेनरल सर्जन), प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नरकटियागज, पश्चिम चम्पारण, बेतिया/प्रशाखा–3, 9 एव 18A को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

D>Sec-2>2025>niji schika> fines me jane wala fil chamtha